



# राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA (M.P.)

P.G. College Campus Dharam Tekri, Chhindwara

Email-affiliationcuc@gmail.com

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

क्र. 1612 / संबद्धता / 2026  
प्रति,

छिंदवाड़ा दिनांक 13/04/2026

प्राचार्य,  
किसान एवं कृषि विकास परिषद  
रावनाथ चौरे शिक्षण महाविद्यालय  
नियर बस स्टैण्ड सौसर जिला पांडुरा

विषय:- अस्थाई वार्षिक संबद्धता/निरंतरता सत्र 2026-27 ।

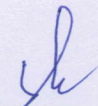
संबद्धता हेतु आपके द्वारा प्रेषित आवेदन के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि सत्र 2026-27 के लिये आपके महाविद्यालय को निम्नांकित विषयों हेतु अस्थाई वार्षिक संबद्धता/निरंतरता प्रदान की जाती है, यह संबद्धता/निरंतरता विश्वविद्यालय द्वारा गठित सत्र 2026-27 के निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में अंकित टीप के अधीन रहेगी।

| विषय/शाखा |
|-----------|
| बी.एड.    |

सामान्य शर्तें -

1. शासन की मान्यता/नियामक संस्था की मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभिवचन पत्र के आधार पर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
2. अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय परिनियम - 27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश क्रं. 6 एवं 7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
4. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम-28 के अंतर्गत पूर्ण कर सूची दिनांक 15/10/2026 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है ऐसा न होने पर सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
5. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वित्तीय सत्र समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन, विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
7. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
8. बिना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
9. प्रयोगशाला, लाईब्रेरी तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना तीन माह में निर्मित एवं विकसित किया जो व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
10. किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
11. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 127/60/आउशि/संबद्धता/24. भोपाल, दिनांक 20/02/2024 एवं पत्र क्रमांक 125/61/आउशि/संबद्धता/24. भोपाल, दिनांक 20/02/2024 की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा सम्बद्धता किसी भी समय पर निरस्त की जावेगी।

आदेशानुसार

  
(शैलेन्द्र कुमार जैन)  
कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय  
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

छिंदवाड़ा दिनांक 13/04/2026

पृ. क्र. 1613 / संबद्धता / 2026  
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. माननीय कुलगुरु जी के निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलगुरु जी की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर (म.प्र.)।
4. वित्त नियंत्रक, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक/गोपनीय शाखा को कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी आई.टी. सेल को सूचनार्थ।
8. संबंधित नस्ती।

  
(डॉ. जे.के.वाहने)

उप कुलसचिव अकादमिक  
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय